पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट www.shekhauni.ac.in ई–मेलः registrar@shekhauni.ac.in

क्रमांकः 33378 दिनांकः 30/09/2026

अल्पकालिक ई–निविदा संख्या 04/2026–27

Tender for Pandal, Tent, Stage arrangement, PA System includingVideo Recording & Photography etc work for three days event (Shekhawati Sahitya Sangam) from 09th to 11th October, 2026

Mode of Bid Submission	On Line (E-Tender)
Procuring Entity	Registrar Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar 332024
Estimated Cost of Tender	15,00,000/-
Tender Uploading Date	30.09.2026
Last date & Time of On-line submission of Technical Bid	05.10.2026 (Till 04.00 PM)
Last date & time of submission of DD of EMD processing fee & Tender fee in office	05.10.2026 (Till 04.00 PM)
Date & time of opening of On-Line Technical Bid	05.10.2026 (At 05.00 PM)

- Cost of E-Tender Document and fee in favour of Registrar, Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar Rs. 2000/-
- EMD Bid security for the tender cost @ 2% i.e. Rs. 30,000/-
- E-Tender processing fee in favour of MD, RISL, Jaipur Rs. 500/-
- All the provisions related to MSME exemption and other applicable rules to RTPP ACT 2013 will remain effective.

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyaya
Shekhawati University, Sikar

Name & Signature of Bidder with Seal

अल्पकालिक ई–निविदा संख्या 04/2026–27
(तकनीकी बिड़)

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम, डाक का पता व टेलीफोन/मोबाईल नम्बर
   ....
2. किसको सम्बोधित किया–कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
3. सन्दर्भ : आपकी ई–निविदा सूचना कमांक ..../2026–27 दिनांक ....
4. हम कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई–निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हम ने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
5. फर्म का टर्नओवर 15 लाख रूपये पिछले तीन वर्षो का औसत, जिसमें फर्म की वित्तीय स्थिति के प्रपत्र संलग्न हो, को प्रस्तुत करना होगा।
6. निविदादाता द्वारा विगत तीन वर्षों में से न्यूनतम किसी एक वर्ष में किसी सार्वजनिक विभाग द्वारा जारी संतोषजनक कार्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. निविदादाता द्वारा जीएसटी एवं पैन कॉर्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. ब्लैकलिस्ट नहीं होने का शपथ–पत्र (100 रूपये के नॉनजूडिशियल स्टाम्प पर)
9. बैंकड्राफ्ट/बैंकर्सचैक संख्या ....दिनांक...
   ....(जारी कर्ताबैंक का नाम) रूपये ..../– के लिए **अमानत राशि** के पेटे संलग्न है। जो कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को देय हो।
10. बैंकड्राफ्ट सं0 ....दिनांक ....राशि 2000/– ....
    ....(जारीकर्ता बैंक का नाम) जो कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को देय हो (**निविदा शुल्क के पेटे संलग्न**)
11. बैंकड्राफ्ट सं0 ....दिनांक ....राशि 500/–..
    (जारीकर्ता बैंक का नाम) जो MD RISL, Jaipur को देय हो वास्ते (**प्रोसेसिंग फीस के पेटे संलग्न**)
12. बोलीदाता फर्म के द्वारा निविदा पत्र भरने से पूर्व विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित होकर कार्य की प्रकृति एवं किए जाने वाले कार्य का माप कर साइट विजिट रिपोर्ट विश्वविद्यालय सामान्य प्रशासन शाखा से सत्यापित करवाकर निविदा प्रपत्र के साथ जमा करवाना अनिवार्य रहेगा। यदि निविदादाता उक्त रिपोर्ट जमा नहीं करवाता है तो इसके अभाव में उसे निविदा में अयोग्य करार दिया जाएगा।
13. निविदादाता फर्म का वेयरफाउस विश्वविद्यालय परिधि के 50 किलोमीटर के अन्दर होना अनिवार्य है।
14. निविदादाता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Financial Bid

शेखावाटी साहित्य संगम

क्र.सं.	पैकेज	निविदा राशि (अंको में)	निविदा राशि (शब्दों में)
1.	पैकेज-1 (विवरण संलग्न)		

नोटः उक्त पैकेज में नीचे वर्णित समस्त सामग्री समारोह दिवसों (09, 10 एवं 11 अक्टूबर, 2026) यानि तीन दिवसों के लिए प्रभावी रहेगी।

(पैकेज-1)

क्र.सं.	व्यवस्था मद (Category)
1	टेंट, स्टेज एवं बैठक व्यवस्था, विद्युत एवं कूलिंग व्यवस्था
1.1	साउंड एवं ऑडियो व्यवस्था
2	लाइट व्यवस्था- पावर बैकअप (साइलेंट डीजी) व अग्निशामक
3	सांस्कृतिक कार्यक्रम उपकरण व्यवस्था
4	वीडियो
5	फोटोग्राफी
6	एलईडी स्क्रीन व ड्रोन कैमरा कवरेज, लाइव प्रसारण
7	स्टेशनरी, किट, बैज एवं आई-कार्ड व्यवस्था
8	आवास एवं अतिथि सत्कार
9	परिसर सज्जा
10	मीडिया बाइट्स इंटरव्यू बैकड्रॉप
11	शेखावाटी की झांकियां - लवाजमा
12	पुस्तक मेला विशिष्ट व्यवस्था + CCTV
13	प्रतियोगिता विशिष्ट सामग्री (पोस्टर, मेहंदी व साफा)
14	Media Agency
15	Print Media
16	Social Media Promotion

नोटः निविदादाता फर्म उक्त मदों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिये गये सम्पूर्ण विवरणानुसार विश्वविद्यालय साइट विजिट कर कार्य की प्रकृति को समझकर निविदा राशि प्रस्तुत करेगी।

Scope of Work

शेखावाटी साहित्य संगम - कार्यक्रमवार आवश्यक सामग्री एवं व्यवस्था सूची

कार्यक्रम: शेखावाटी साहित्य संगम एवं सांस्कृतिक उत्सव

प्रारूप: कार्यक्रम-वार अद्यतन सामग्री चेकलिस्ट (अतिरिक्त प्रविष्टियों हेतु रिक्त स्थान सहित)

---

1. उद्घाटन एवं समापन सत्र (Inaugural & Valedictory Sessions)

क्र.सं.	मद / सामग्री (Item)	मात्रा / संख्या	विशेष विवरण / उपयोग स्थल
1.1	मंच व बैठक व्यवस्था	2 पंक्तियां सोफे + 500 कुर्सियां + backdrop Flex	
1.2	ऑडियो / माइक व्यवस्था	2 पोडियम व 2 माईक + 4 कॉर्डलेस + 2 कॉलर माईक	
1.3	एलईडी स्क्रीन व डिस्प्ले	1 बड़ी स्क्रीन, लैपटॉप	चर्चानुसार
1.4	हाल सज्जा	सम्पूर्ण मुख्य कार्यक्रम स्थल की सजावट, समिति से परामर्श पश्चात	
1.5	फोल्डर व बैग अतिथि किट	20 जूट फोल्डर मय logo + 20 नोटपेड मय पैन	
1.6	पेयजल व अन्य सुविधा	प्लास्टिक-मुक्त वाटर डिस्पेंसर व ग्लास हवा हेतु एसी- 4 अन्य पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था	

2. समानांतर वैचारिक एवं साहित्यिक सत्र (Academic & Literary Sessions)

क्र.सं.	मद / सामग्री (Item)	मात्रा / संख्या	विशेष विवरण / उपयोग स्थल
2.1	टेबल एवं वोकल्स माइक	4 कॉर्डलेस माइक 4 कॉलर माईक	पैनल चर्चा, प्रश्नोत्तरी एवं संवाद हेतु
2.2	फोल्डर व बैग अतिथि किट	50 जूट फोल्डर मय logo + 50 नोटपेड मय पैन	
2.3	सत्र मंच व्यवस्था	यथा आवश्यकता	वक्ताओं हेतु टेबल, कुर्सी, नेम-प्लेट एवं राइटिंग पैड

2.4	प्रोजेक्शन व प्रेजेंटेशन	प्रोजेक्टर / स्क्रीन	शोध पत्र व पीपीटी प्रस्तुति हेतु
2.5	जल व्यवस्था	कांच की बोतलें / ग्लास	मंच पर वक्ताओं हेतु पेयजल
2.6	*बैकग्राउंड फ्लेक्स Specker satandy and session details board - outside and inside*	बड़ी साइज़ आवश्यकता के अनुसार	

3. प्रतियोगिताएं (Competitions - पोस्टर एवं मेहंदी)

क्र.सं.	मद / सामग्री (Item)	मात्रा / संख्या	विशेष विवरण / उपयोग स्थल
3.1	पोस्टर शीट्स	200 प्रतिभागियों हेतु	मानक ड्राइंग शीट
3.2	वाटर कलर सेट	100 सेट	रंग संयोजन हेतु किट
3.3	ड्राइंग स्टेशनरी किट	200 सेट	पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल एवं ब्रश
3.4	मेहंदी कोन	300 कोण	मेहंदी प्रतियोगिता हेतु ताजी मेहंदी
3.5	*साफा प्रतियोगिता हेतु*	50 साफा	
3.6	ऑडियो / माइक व्यवस्था	1 पोडियम व 1 माईक + 4 कॉर्डलेस + माईकस्टैंड	
3.7	प्रतियोगिता में निर्णायकों, अभिभावक, अध्यापक व अन्य हेतु बैठक व्यवस्था	यथा आवश्यकता	वक्ताओं हेतु टेबल, कुर्सी, नेम-प्लेट एवं राइटिंग पैड
3.8	जल व्यवस्था	यथा आवश्यकता अनुसार	पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था
3.9	*SSS satandy and Selfy point*	साइज़ आवश्यकता के अनुसार	
3.10	*स्टेशनरी*	A4- रिम 2, 30 जूट फोल्डर मय logo + 30 नोटपेड मय पैन+10 बड़े रजिस्टर + 10 हार्डबोर्ड + आवश्यकता अनुसार fevistick, कार्बन पेपर , स्टेपलर, सेलो टेप, डबल टेप, मार्कर व अन्य सामान	
3.11	*प्रमाण पत्र (A3)*	1000	

4. सांस्कृतिक कार्यक्रम - नाटक एवं कवि सम्मेलन (Cultural Events)

क्र.सं.	मद / सामग्री (Item)	मात्रा / संख्या	विशेष विवरण / उपयोग स्थल
4.1	नाट्य दल आवास व रिहर्सल	30 सदस्य होटल स्टे	9 एवं 10 अक्टूबर को ठहरने व पूर्वाभ्यास व्यवस्था
4.2	मंच विस्तार (Stage Extension)	बड़ा मंच	नाट्य मंचन एवं लोक प्रस्तुति हेतु
4.3	ग्रीन रूम व विंग्स	2 विंग्स (दोनों तरफ पर्दे)	कलाकारों के प्रवेश, निकास व वेशभूषा बदलाव हेतु
4.4	थिएटर लाइट रिग	पूर्ण सेटअप	Sharpy, Truss, Par Lights, Colour Lights, Smoke Machine, Dimmer, Strobe
4.5	सांस्कृतिक साउंड सिस्टम	1 पूर्ण सेट 15 कॉलर माईक 2 कॉर्डलेस माईक 1 स्टैंडिंग माईक	गायन, वादन, वोकल्स एवं नृत्य प्रस्तुति हेतु
4.6	एलईडी स्क्रीन व डिस्प्ले	1 बड़ी स्क्रीन, लैपटॉप	मंच अनुसार
4.7	कवि सम्मेलन व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु	व्यवस्थाओं हेतु अवगत करवाया जाएगा	

5. पुस्तक मेला एवं पाठक कोना (Book Fair & Readers Corner)

क्र.सं.	मद / सामग्री (Item)	मात्रा / संख्या	विशेष विवरण / उपयोग स्थल
5.1	टेंट पंडाल (U-आकार लेआउट)	(वाटरप्रूफ) + अंदर 25 के लगभग स्टाल बनेगी	आवश्यकता अनुसार
5.2	फ्लोरिंग एवं कार्पेटिंग		
5.3	पुस्तक स्टॉल टेबल	300 टेबल	U/E -शेप परिधि में प्रकाशक स्टॉल हेतु
5.4	टेबल कवर व फ्रिल	300 सेट	फ्लोर-टचिंग कवर एवं पारदर्शी प्लास्टिक शीट
5.5	स्टॉल कुर्सियां	50 कुर्सियां	प्रकाशकों व प्रतिनिधियों हेतु

5.6	स्टैंडिंग बुक रैक	प्रति प्रकाशक 1 रैक	
5.7	रीडर्स स्पॉट (खड़े होकर पढ़ने हेतु)	2 स्थानों पर 2 गोल मेजें	पाठकों के लिए स्टैंडिंग रीडिंग टेबल
5.8	बैठक सोफा सेट	4 सेट (3+1+1) + टी-टेबल	किताबों से थोड़ी दूरी पर सुगम बैठक व्यवस्था
5.9	रीडर्स कॉर्नर ऑडियो	1 माइक एवं स्पीकर	पुस्तक लोकार्पण व परिचर्चा हेतु स्वतंत्र सिस्टम
5.10	विद्युत व लाइटिंग	प्रत्येक स्टॉल पर पर्याप्त रोशनी व चार्जिंग पॉइंट आवश्यकता अनुसार	
5.11	कूलिंग व वेंटिलेशन	आवश्यकता अनुसार	पंडाल में वायु प्रवाह व शीतलता हेतु
5.12	पावर बैकअप व सुरक्षा	आवश्यकता अनुसार, 15-20 अग्निशामक	
5.13	प्रचार व सज्जा सामग्री	बैनर, 10 पोस्टर बुक कवर पेज के पुरे परिसर हेतु , 15 बुकमार्क बड़ी साइज़, अंदर 25 के लगभग स्टाल बनेगी उनके सामने गेट बनेगे जिसमे प्रकाशन व sss का नाम व logo, 15-20 भारत के मुख्य रचनाकारों के नाम व उनकी पुस्तको के विवरण हेतु कोई स्टैंड या सजावट दिवार (अवगत करवाया जाएगा)	
5.14	बिल काउंटर एवं क्रय केंद्र	1 पूर्ण सेटअप	बिलिंग काउंटर, कंप्यूटर सिस्टम + 2 मय प्रिंटर multifunction
5.15	*रात्रि में पुस्तकों को ढ़कने हेतु प्लास्टिक कवर*	आवश्यकता अनुसार	
5.16	*पुस्तकों के रखरखाव हेतु कंप्यूटर सोफ्टवेयर*	आवश्यकता अनुसार	चर्चानुसार
5.17	*पुस्तक ट्रांसपोर्टेशन व्यय*	बिल के अनुसार	
5.18	*SSS satandy and Selfy point (15+3)*	साइज़ आवश्यकता के अनुसार	

5.19	*स्टेशनरी*	A4- रिम 3, 30 जूट फोल्डर मय logo + 30 नोटपेड मय पैन+2 बड़े रजिस्टर + 2 हार्डबोर्ड + आवश्यकता अनुसार fevistick, कार्बन पेपर , स्टेपलर, सेलो टेप, डबल टेप, मार्कर व अन्य सामान	समस्त सामग्री आवश्यकतानुसार
5.20	*कार्यक्रम में मेडिकल सुविधा हेतु काउंटर*	नोट : परिसर में स्थान के अनुसार लगाया जाएगा	

6. संपूर्ण विश्वविद्यालय परिसर सज्जा एवं ब्रांडिंग (Campus Ambience & Decoration)

क्र.सं.	मद / सामग्री (Item)	मात्रा / संख्या	विशेष विवरण / उपयोग स्थल
6.1	प्रवेश द्वार व मार्ग स्टैंडी	25 से 30 स्टैंडी	मुख्य द्वार, प्रशासनिक भवन, सभागार व अकादमिक विभागों पर
6.2	उत्सव ध्वज एवं लड़ियां	100+ पोल फ्लैग्स व लड़ियां	मुख्य मार्गों, लैंप पोस्ट एवं गलियारों में संगम थीम के झंडे
6.3	रंगोली एवं मांडणा सामग्री	50 kg रंग + सजावटी फूल	प्रवेश द्वारों, लॉबी व सभागार के आगे पारंपरिक मांडणा हेतु
6.4	साहित्यकार एवं सांस्कृतिक कट-आउट्स	15 से 20 लाइफ-साइज कट-आउट्स	महान लेखकों एवं शेखावाटी लोक संस्कृति के बड़े कट-आउट्स - शेखावाटी हवेलियां व दुर्लभ चित्र
6.5	थीमेटिक गलियारे (Walkways)	3 से 4 गलियारे अवगत करवाया जाएगा जैसे छत्ता लहरिया	
6.6	सेल्फी व फोटो पॉइंट्स	5 परिसर	
6.7	दिशा सूचक बोर्ड (Signages)	15 से 20 बोर्ड	पार्किंग, मंच, भोजन क्षेत्र, मेला व विश्राम स्थल मार्गदर्शन

7. मीडिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एवं लाइव स्ट्रीमिंग (Media & Documentation)

क्र.सं.	मद / सामग्री	मात्रा / संख्या	विशेष विवरण / उपयोग स्थल
7.1	प्रोफेशनल कैमरा सेटअप- सत्रवार फोटोग्राफी, मुख्य मंच व पुस्तक प्रदर्शनी व कार्यक्रम के अन्य स्थानों के कवरेज हेतु	2 से 3 DSLR / Cinema Cam	
7.2	मल्टी-कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग	5 - 4K/FHD कैमरे	सम्पूर्ण सत्रों, परिचर्चाओं एवं नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम की अभिलेखीय रिकॉर्डिंग
7.3	ड्रोन कैमरा (Aerial Video)	1 यूनिट (अनुमति अनुसार)	परिसर, पुस्तक मेला व जन-सहभागिता का विहंगम दृश्य
7.4	मीडिया लाउंज एवं प्रेस गैलरी	1 समर्पित कक्ष / एरिया	पत्रकारों हेतु बैठक व्यवस्था, टेबल, कुर्सियां व चार्जिंग पॉइंट्स
7.5	प्रेस किट एवं सामग्री (पोस्टर विमोचन व प्रेस वार्ता हेतु कार्यक्रम से पूर्व आवश्यकता)	50 किट	कार्यक्रम विवरण, प्रेस नोट पैड, पेन, फोल्डर व मीडिया बैज
7.6	मीडिया बाइट्स बैकड्रॉप	1 कस्टमाइज्ड बैकड्रॉप	अतिथियों व वक्ताओं के साक्षात्कार हेतु संगम लोगो युक्त बोर्ड
7.7	सोशल मीडिया संपादन टीम	1 संपादन डेस्क	लैपटॉप, कार्ड रीडर, SSD एवं त्वरित रील्स/प्रेस नोट प्रेषण व्यवस्था

8. मुख्य पंजीकरण काउंटर एवं बैज व्यवस्था (Registration Desk, Badges & Kits)

क्र.सं.	मद / सामग्री	मात्रा / संख्या	विशेष विवरण / उपयोग स्थल
8.1	पंजीकरण काउंटर सेटअप	4 से 6 काउंटर टेबल + कुर्सियां	कंप्यूटर व qr स्कैनर सहित
8.2	हैंगिंग आई-कार्ड / बैज (Lanyard Badges)	500 के लगभग बैज	लेमिनेटेड/प्लास्टिक पाउच व संगम ब्रांडेड रिबन (Lanyard) सहित
8.3	विशिष्ट अतिथि / वक्ता बैज (VIP/Guest)	50 बैज (गोल्डन/विशेष रंग) मय अतिथि का नाम व विवरण	मुख्य वक्ता, विशिष्ट अतिथि, साहित्यकार एवं सत्र अध्यक्ष
8.4	स्वयंसेवक बैज (Volunteer Badges)	100 से 150 बैज (नीला/हरा रिबन)	विद्यार्थी दल, व्यवस्थापक एवं आयोजन समिति स्वयंसेवक
8.5	मीडिया व प्रेस बैज (Press Badges)	50 बैज (लाल रिबन)	प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया प्रतिनिधि
8.6	प्रकाशक व स्टॉल बैज (Publisher Badges)	200 बैज	पुस्तक मेले के प्रकाशक व स्टॉल प्रतिनिधि
8.7	ऑन-स्पॉट बैज प्रिंटिंग व स्टेशनरी	तत्काल खाली कार्ड्स, मार्कर व डोरी सेट	
8.8	काउंटर साइनेज व डिस्प्ले स्टैंडी	6 से 8 डिस्प्ले बोर्ड	प्रत्येक काउंटर के ऊपर श्रेणी सूचक बोर्ड (Guest / Volunteer आदि)

9. परिवहन एवं आवागमन व्यवस्था (Transportation & Travel Logistics)

क्र.सं.	मद / सामग्री	मात्रा / संख्या	विशेष विवरण / उपयोग स्थल
9.1	लॉजिस्टिक्स व सामान लोडिंग वाहन	1 पिकअप / छोटा हाथी	पुस्तक मेला सामग्री, टेंट सामान, साउंड उपकरण व बैनर लाने-ले जाने हेतु
9.2	वाहन स्टीकर / पास (Vehicle Passes)	50 वाहन पास	

10. अन्य आवश्यकता -

क्र.सं.	मद / सामग्री	मात्रा / संख्या	विशेष विवरण / उपयोग स्थल
10.1	परिवहन में सुरक्षा हेतु व्यवस्था	आवश्यकता अनुसार	
10.2	SSS LOGO TRIPOD	5	
10.3	Advt. Auto texi	1	

Note : The work should be completed by 08th October, 2026 evening in order for security check by the protocol and security officers.

<u>अनुलग्नक–"अ"</u>

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;
(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;
(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;
(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;
(ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;
(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;
(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;
(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;
(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;
(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;
(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;
(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

<u>अनुलग्नक "ब"</u>

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा कमांक..................दिनांक......................के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अतंर्गत यह घोषणा करते है कि

01. मै/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तिय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते है ।
02. मै/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते है ।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रकियाधीन है ।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रकिया के दौरान गत तीन वर्षे में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रकिया से निष्कासित नही किया गया है ।
05. मै/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो ।

स्थान : ....

तारीख : ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक "स"

निविदा प्रकिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.............**कुलसचिव** पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

द्वितीय अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.............कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था केाई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लघन में हे तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी केा, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चिय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व –अर्हता दस्तावेजो या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगाः

   परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया हैः

   परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वितिय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वितिय बोली के मामले से सबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है ।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा – 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव श्घ्रिध विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा ।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित हे तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितिय अपील दाखिल कर सकेगा ।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलो से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वध कोई अपील नहीं होगा ।

   अर्थातः

   कः उपापन की आवश्यकता का अवधारण

   ख बोली प्रकिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध

   ग. यह विनिश्यक की निबंधनो में बातचीत की जाये या नहीं

   घ. निबन्धनों में उपापन प्रकिया का रद्दकरण

   ड. गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना ।
4. **अपील का प्रारूप**.– (1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2)प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3)प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

5. अपील फाइल करने के लिए फीस.–

(1)प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2)फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

6. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया.–**

(1)प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

(5) किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्यायीक क्षेत्र सीकर रहेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 1

(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील

का ज्ञापन

.... की अपील सं. ....

(प्रथम / द्वितीय अपील प्राधिकारी) .... के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :

(i) अपीलार्थी का नाम :..

(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :...

(iii) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

(i)

(ii) .

(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी / प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :

....

....

....

. (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

भाग 4 (ग) राजस्थान राज–पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)

7. प्रार्थना : ....

....

....

स्थान : ....

तारीख : ....

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक "द"

निविदा की अतिरिक्त शर्ते

1. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार**

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर,सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

2. **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार.–** उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार.–

(1) संविदा के अधिनिर्णयके समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी –

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत।

3. **अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन.–**

सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि

उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्तारक्षर मय सील